

निदेशालय,

कॉलेज शिक्षा,

राजस्थान,

जयपुर

क्रमांक: एफ1(61)पीएस/निकाशि/12/386

दिनांक :- 17/7/2013


समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
..... ।

विषय :- कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत पूर्व सेवा का लाभ देने संबंधी लम्बित प्रकरण।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ/खण्डपीठ के निर्णयों व अवमानना याचिकाओं के प्रकरणों एवम् माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी. के विचाराधीन लम्बित भुगतान विभागीय आदेश क्रमांक: एफ1 (61)पीएस/निकाशि /12/318 दिनांक 26.9.12 द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था।

उक्त आदेशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब भुगतान की कार्यवाही कर कार्यालय को अवगत करावें।


निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।